भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2646

उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026
18 फाल्गुन, 1947 (शक)

जिला स्तर पर खेल अवसंरचना

2646. डॉ. भोला सिंहः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई या विकसित की गई जिला स्तरीय खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या खेल अवसंरचना और खिलाड़ी प्रशिक्षण संबंधी जिलावार डेटा अनुरक्षित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई या उन्नत की गई सुविधाएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेल विकास और प्रतिभा पहचान को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए / उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) 'खेल' राज्य विषय होने के कारण, जिला स्तर पर खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विकास, खेल अवसंरचना का जिला-वार डाटा संधारण और एथलीटों के प्रशिक्षण तथा जमीनी स्तर पर खेलों के विकास और प्रतिभा पहचान को सुदृढ़ करने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में खेलों के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

i खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;

iii अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन;

iv राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;

v मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;

vi खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;

vii राष्ट्रीय खेल विकास निधि;

viii भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; तथा

ix राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग आधारित स्कीमें हैं, जिनके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है।

खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर में स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****